रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 1975/आश्विन 24, 1897

[सं० 4981] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 1975/ASVINA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 16th October 1975

S.O. 600(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 3, read with clause (f) of sub-section (2) thereof, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and clause 4C of the Aluminium (Control) Order, 1970, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 357(E) dated the 15th July, 1975, namely:—

In the said order for the expression "55(fifty five) per cent", the expression "50 (fifty) per cent" shall be substituted.

[No. 5(33)/75-Met. I (Vol. II)]

P. K. KAUL, Jt. Secy.

इस्पात तथा खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1975

का० आ० 600(अ)—अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के खंड 3 के उपखंड (1) के साथ पठित उपखंड (2) की धारा (एफ) तथा एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 की धारा 4-सी के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) भारत सरकार के आदेश संख्या का० आ० 357 (ई) दिनांक 15–7–1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में आए वाक्यांश "55 (पचपन) प्रतिशत" के स्थान पर "50 (पचास) प्रतिशत" वाक्यांश रखा जाएगा ।

[सं० 5(33)/75–मेटल I—भाग II]

पी० के० कौल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1975